कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टोंक

वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र, न्यायालय परिसर, टोंक (राज.)
Phone No.: 01432-294603, E-mail:legalaidtonk@gmail.com

क्रमांक : प. ( )/स्था./विज्ञप्ति/2025/924 दिनांक : 07/02/25

:: विज्ञप्ति ::

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ–7 (136)रालसा/संस्था/संविदा सेवा–वाहन/2025/65 दिनांक 04.02.2025 एवं राजस्थान सरकार, विधि (ग्रुप–2) विभाग के आज्ञा क्रमांक प.8(1)विधि–2/विरसं.(64)/2015/पार्ट–II जयपुर दिनांक 22.01.2025 द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुसरण में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टोंक एवं तालुका विधिक सेवा समितियों के कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध संविदा सेवा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 (दिनांक 01.03.2025 से 31.03.2026 तक) अथवा नियमित भर्ती होने तक, जो भी पूर्व में हो, के लिए कार्मिक विभाग के परिपत्र एवं संविदा सेवाओं के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों के दिशा–निर्देशों की पालना की सुनिश्चितता के अधीन चतुर्थ श्रेणी सेवानिवृत कार्मिकों की सेवाऐं संविदा/प्रतिनियुक्ति पर लिए जाने हेतु निम्नानुसार आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :–

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध आवंटित संविदा सेवा
1.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टोंक	04
2.	तालुका विधिक सेवा समिति, मालपुरा	01
3.	तालुका विधिक सेवा समिति, निवाई	01
4.	तालुका विधिक सेवा समिति, उनियारा	01
5.	तालुका विधिक सेवा समिति, देवली	01
6.	तालुका विधिक सेवा समिति, टोडारायसिंह	01
	कुल पद	**09**

इच्छुक आवेदक निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं :–

1. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों व विनियमों के अनुसार पारिश्रमिक देय होगा।
2. आवेदक को पुनर्नियुक्ति हेतु उक्त कार्यालयों में से वांछित स्थान का विकल्प वरीयता में देना होगा।
3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संवर्ग में 65 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत कर्मचारी (शारीरिक रूप से/चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त होने पर ही) ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।
4. उक्त सेवाऐं राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त निर्देशों/आदेशों के अध्यधीन प्रभावी रहेंगी।

5. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक की पुनर्नियुक्ति किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर समाप्त किये जाने के दायित्व के अध्यधीन होगी।

6. कार्मिक को पुनर्नियुक्ति के समय नियमानुसार सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थय संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उपर्युक्त वर्णित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर उक्त शर्तों के अध्यधीन सेवाऐं देने वाले इच्छुक आवेदक दिनांक 14.02.2025, सायं 05.00 बजे तक इस कार्यालय में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आवेदक जिला न्यायालय, टोंक की वेबसाईट https://tonk.dcourts.gov.in/ से आवेदन पत्र डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि दिनांक 14.02.2025 के पश्चात् आवश्यक निर्देशों बाबत् जिला न्यायालय, टोंक की वेबसाईट एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।

आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज़ संलग्न किए जाने आवश्यक हैं :–

1. विभागाध्यक्ष द्वारा जारी सेवानिवृति आदेश की प्रति
2. अंतिम भुगतान प्रमाण–पत्र (एल.पी.सी.) की प्रति
3. पी.पी.ओ. की प्रति
4. विभागाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण–पत्र (प्रारूप संलग्न)

सचिव
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
टोंक (राज.)

क्रमांक : प. ( )/स्था./विज्ञप्ति/2025/925-935 **दिनांक :** 07/02/25

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्रीमान् सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, टोंक
3. श्रीमान् जिला कलेक्टर; टोंक को समस्त राजकीय विभागों में सूचित करने हेतु।
4. अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति मालपुरा/निवाई/उनियारा/देवली/टोडारायसिंह
5. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, टोंक
6. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, टोंक को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा

सचिव
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
टोंक (राज.)

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टोंक

(राज्य सरकार से सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की समेकित पारिश्रमिक पर संविदा सेवाएं लेने बाबत्)

आवेदन पत्र

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी का नाम – ....
2. पिता/पति का नाम – ....
3. जन्मतिथि – ....
4. आयु – .... वर्ष .... माह .... दिन
5. पता मय मोबाईल नम्बर – ....
   ....
   ....पिन ....
6. अर्हताएं – ....
7. मूल विभाग का नाम – ....
8. सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद – ....
9. अनुभव – ....
10. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन ....
    (रनिंग पे बैण्ड वेतन, ग्रेड पे)
    (एल.पी.सी. संलग्न करें)
11. मूल पेंशन राशि
    (पीपीओ की प्रति संलग्न करें) ....
12. धारित पद का वेतन मान (सेवानिवृत्ति के समय) ....
13. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार) ....
14. पदनाम जिसके लिए कर्मचारी द्वारा आवेदन किया जा रहा है ....

(हस्ताक्षर मय दिनांक)

सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिये वचनबंध

अधोहस्ताक्षरकर्ता राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बधनों और शर्तो के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का ईच्छुक है। अधोहस्ताक्षरकर्ता संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बधनों और शर्तो को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

दिनांक :–

स्थान :–

(हस्ताक्षर मय दिनांक)

विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु संख्या 1 से 14 तक तथ्य सत्य पाये गये है और श्री/श्रीमती .... पुत्र/पत्नी .... जो सेवानिवृत्ति से पूर्व .... के पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के सम्बन्ध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती .... की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबन्ध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय श्री/श्रीमती .... रूपये .... अक्षरे .... मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड, ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती .... अधिवार्षिक आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और श्री/श्रीमती .... के विरूद्व कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लम्बित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरूद्व ली जा रही हैं, उससे किसी प्रकार से नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के
हस्ताक्षर
मय सील